

राजस्थान सरकार
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या:- 21/2023

प्रार्थी
एयु स्माल फाइनेन्स बैंक लि.
(पूर्व नाम एयू फाईनन्सर्स
इण्डिया लि) क्षेत्रीय कार्यालय
तीसरी मंजिल, सुन्दर विला,
वोडाफोन स्टोर के उपर,
रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर
342001 राजस्थान जरिये
प्राधिकृत अधिकारी श्री मनीष
नारायण कल्ला

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री गोरधन सोलंकी पुत्र श्री
चुन्नीलाल पता- हुसैन मार्ग,
पाल लिंक रोड, मुदित मेशन के
पीछे, गौरुजी की दुकान, जिला
जोधपुर
द्वितीय पता- श्री गोरधन
सोलंकी एवं हितेष सोलंकी
आवासीय सम्पति अवस्थित ग्राम
पंचायत समदड़ी स्टेशन,
तहसील समदड़ी, जिला
बालोतरा
2. श्री हितेष सोलंकी पुत्र श्री
गोरधन सोलंकी पता- राजीव
गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड,
मकान नंबर 227, जिला
जोधपुर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:- 07.02.2024

1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्री महेश व
अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा
अप्रार्थीगण को दिनांक 30.06.2021, ऋण खाता संख्या L90010601124572984 में कुल राशि
रुपये 1,52,000/- (अक्षरे एक लाख बावन हजार रुपये) मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई
गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी संख्या 1 श्री गोरधन सोलंकी की जायदाद जो पट्टा संख्या
29, मिसल नम्बर 195, बुक नंबर 40, ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन, पंचायत समिति समदड़ी,
तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा बनाप 1450 वर्ग गज जिसके उत्तर में हितेष कुमार पुत्र
गोरधनलाल जी, दक्षिण में ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल जी घांची, पूर्व में राजु पुत्र मोहनलाल जी

घांची, पश्चिम में आम रास्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 हितेष की जायदाद जो पट्टा संख्या 30, मिसल नम्बर 195, बुक नंबर 40 ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन, पंचायत समिति समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा बनाप 1450 वर्ग गज जिसके उत्तर में रामेश्वर की सम्पति, दक्षिण में गोरधन पुत्र चुन्नीलाल जी, पूर्व में राजु पुत्र मोहनलाल जी घांची, पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ, को प्रार्थी बैंक /कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 19.06.2023 तक 1,80,115/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक की रिट याचिका संख्या 9694/2005 सुनन्दा कुमारी वगैरह बनाम स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उप धारा के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and reconstruction of finalcial assets and enforcement of securities interest Act 2022 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है:-

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured assets, request, in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him—

(a) take possession of such asset and documents relating thereto; and

(b) forward such asset and documents to the secured creditor:

